

पुस्तक का क्रमबद्ध कार्य
अधीनस्थ
न्यायालय, भोपाल

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर कैंप भोपाल

किराानी 2555-188-15



इन्दरलाल बतरा आ. स्व. किरानचंद बतरा
निवासी देशबंधु पुरा इटारसी
तह0 इटारसी जिला होशंगाबाद.....अपीलार्थी

बनाम

संदीप तिवारी आ. रामशंकर तिवारी
निवासी ग्राम मोती ढाना तह. शाहपुर
जिला बैतूलउत्तरवादी

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू.रा.संहिता

याचिकाकर्ता यह पुनरीक्षण याचिका न्यायालय श्रीमान अकर आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा राजस्व अपील 89ए/2011-12 इंदरलाल बतरा बनाम संदीप तिवारी में पारित आदेश दिनांक 07.05.15 जो न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद की प्रथम अपील क्रं 7अ/70वर्ष 08-09 में ग्राम इटारसी तह0 इटारसी जिला होशंगाबाद जिलेके पक्षकार इंदरलाल बतरा बनाम संदीप तिवारी थे, पारित आदेश दिनांक 31.08.09 जो तहसीलदार महोदय के प्रकरण क्रं.9अ/70/06-07 में पारित आदेश दिनांक 13.10.08 के विरुद्ध उत्पन्न हुई थी ले क्षुब्ध व व्यथित होकर निम्न आधारी पर पेश करता है :-

कानूनकार कार्य
होशंगाबाद बार से
भोपाल दफ्तर पर धारा

G/M
30-7-15

R 2555-PRR/15 होशंगाबाद

31-8-2017

DD

आवेदन की जांच के सूचना
उपरोक्त कोई भी उपायित नहीं।
तीन बार पुकार लगवाई गई, फिर
भी कोई उपायित नहीं। अतः
प्रकाश अदम परकी में श्वारिज
किया जाता है।

अध्यक्ष